दिनांक 29.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 29/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **1 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.05.2021 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डावर बाईपास चौराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विवेक उर्फ विक्कू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–276/2021 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विवेक उर्फ विक्कू निवासी ग्राम किठौली थाना जॉनी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस ।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर 01 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28/29.05.2021 को थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में तिसरा मिल के पास से 02 अभियुक्तों 1—मनवीर 2—सतीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 50 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 28.05.2021 को थाना हसनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर मु0अ0सं0 216/2021 धारा 392/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— मनवीर निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2—सतीश निवासी गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर 01 जीवित 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना सरधना

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में शातिर 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 1500 रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28/29.05.2021 को थाना सरधना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कपसाड की तरफ मुडने वाले रास्ते के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मोहित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—आयुश उर्फ समय उर्फ तोफा 3—सुजीत उर्फ सुरजीत 4—रोहित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 1500 रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त आयुश उर्फ समय उर्फ तोफा के विरूद्ध जनपद मेरठ के थाना सरधना पर लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग, अभियुक्त सुजीत उर्फ सुरजीत के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग व अभियुक्त रोहित के विरूद्ध हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 28.04.2021 को थाना सरधना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरधना पर मु0अ0सं0 225/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरधना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोहित निवासी जवाहरनगर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

2–आयुश उर्फ समय उर्फ तोफा निवासी मोहल्ला मुल्ताननगर थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

3–सुजीत उर्फ सुरजीत निवासी पावली खुर्द थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

4–रोहित निवासी जवाहरनगर थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 1500 रूपये नगद।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित 02 खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद मुरादाबाद/थाना बिलारी</u>

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 30 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.05.2021 को थाना बिलारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बिलारी क्षेत्र से अभियुक्त शानू उर्फ शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 30 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनॉकः 27.04.2021 को थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 146/2021 धारा 395 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात

पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त डकैती की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शानू उर्फ शान मोहम्मद निवासी ग्राम थॉवला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—डकैती के 30 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड़

- **20—20 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **2 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 28.05.2021 की रात्रि थाना ककोड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चागौली मोड़ से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—जुगनु उर्फ कौशिक 2—करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है।अभियुक्त जुगनु व अभियुक्त करन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के 04—04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0—266/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 20—20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जुगनु उर्फ कौशिक निवासी लाठौर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–करन निवासी ग्राम कुल्ली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस ।

<u>जनपद बिजनौर/थाना स्योहारा</u>

- **15–15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.05.2021 को थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नल तिराहा ठाकुरद्वारा रोड से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अंकित कुमार 2–बब्लू 3–सुदेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–273/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 15–15हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अंकित कुमार निवासी ग्राम सिपाहियोंवाला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2–बब्लू निवासी ग्राम सिपाहियोंवाला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3–सुदेश निवासी रिफायतपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर/थाना नगीना

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **500 ग्राम अवैध चरस**
- **01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.05.2021 को थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोटरा के जंगल से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अतीक उर्फ बोनी 2–शानू उर्फ गोल्टा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस, 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अतीक उर्फ बोनी के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 24 अभियोग, अभियुक्त शानू के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, सी0एस0 एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–151/2021 धारा 379/411 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तार पर जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतीक उर्फ बोनी निवासी मो0 कस्सावान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2–शानू उर्फ गोल्टा निवासी मोहल्ला मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–500 ग्राम अवैध चरस

2–01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना मोहनगंज

- **12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.05.2021 को थाना मोहनगंज़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालगंज चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 शमीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोहनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–69/2021 धारा 363/376/308 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 शमीम निवासी पूरे जुम्मन मजरे संग्रामपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

जनपद मेरठ/थाना ब्रह्मपुरी

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 कुन्तल सरिया**
- **01 चोरी का जनरेटर**
- **चोरी के 02 जनरेटर के अल्टीनेटर**
- **चोरी के 01 चारा काटने की मशीन**
- **चोरी के 05 हजार रूपये नगद**
- **01 मैक्सी ट्रक**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.05.2021 को थाना ब्रह्मपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली बम्बा बाईपास नूरनगर कट पर चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–शाहिद

2—शईद 3—कल्लू 4—नसीमुद्दीन 5—मोबीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 07 कुन्तल सरिया, 01 जनरेटर, 02 जनरेटर के अल्टीनेटर, लोहे के हथौड़े, धुरमुट, तस्ला, गाटर, 05 हजार रूपये नगद, 01 मैक्सी ट्रक 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहिद निवासी घोसीपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

2—शईद निवासी मोहल्ला जमाईपुरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर, हालपता—लोहियानगर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

3—कल्लू निवासी ग्राम नगला थाना जानी जनपद मेरठ।

4—नसीमुद्दीन निवासी मिट्ठेपुर थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर, हालपता लोहियानगर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

5—मोबीन निवासी जाहिदपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी के (07 कुन्तल सरिया, 01 जनरेटर, 02 जनरेटर के अल्टीनेटर, लोहे के हथौड़े, धुरमुट, तस्ला, गाटर,)

2—चोरी के 05 हजार रूपये नगद।

3—01 01 बोलेरो मैक्सी ट्रक।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 ट्रक**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद**

दिनांक 29.05.2021 को थाना हैदरगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–समीर उर्फ ननकऊ 2–अकलीम 3–उदय को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 02 ट्रक व घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01/02.04.2021 व दिनॉकः 22.04.2021 को थाना हैदरगढ़ क्षेत्र से लूट की घटना अज्ञात अभियुक्तों द्वारा कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगढ़ पर क्रमशः मु0अ0सं0–106/2021 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0–122/2021 धारा 392 भादवि बनाम पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद ट्रक उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–समीर उर्फ ननकऊ निवासी असोव थाना सागीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2–अकलीम निवासी उद्वरनपुर थाना लालगंज अझारा जनपद प्रतापगढ़।

3–उदय निवासी पूरे पौलहा मजरे मौराम बोझी थाना लालगंज अझारा जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 02 ट्रक।

2–घटना मे ंप्रयुक्त 01 ट्रक।

जनपद सम्भल/थाना गुन्नौर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 ट्रैक्टर बरामद**

दिनांक 28.05.2021 को थाना गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बदायूँ रोड़ से 02 अभियुक्तों 1—अलीहरान 2—सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 ट्रैक्टर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो आस पास के जनपदो से वाहन चोरी कर उनके फर्जी नम्बर प्लेट तैयार कर उनके चेचिंस नम्बर व इंजन नम्बर बदलकर फर्जी कागज तैयार कर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अलीहरान निवासी ग्राम दहगवा थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।

2—सलमान निवासी ग्राम दहगवा थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—चोरी के 03 ट्रैक्टर।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 07 तस्कर गिरफ्तार, उनके कब्जे से लगभग 10 कुन्तल गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 29—05—2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 07 तस्करों को 10 कुन्तल गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1- **प्रतीक सिंह पुत्र पंकज सिंह नि० विलहटा, वरपुर, थाना-बक्सा जिला-जौनपुर उ०प्र० (सरगना)**

2— प्रदीप सिंह पुत्र सूर्य नारायण, नि0 सरायपडरी थाना—सुजानपुर, जिला—जौनपुर, उ0प्र0

3— आनंद यादव पुत्र राजशेखर यादव, नि0—मोमिनपुर चकिया, करंजा कलां, थाना—शिकारपुर, जिला जौनपुर, उ0प्र0

4— सत्यप्रकाश सरोज पुत्र लालचंद सरोज, नि0— बरहटा, वरपुर, थाना—बक्सा, जौनपुर, उ0प्र0

5— मूलचंद यादव पुत्र सुरेश यादव, नि0 धनवा, बरईपार, थाना मछलीशहर, जौनपुर।, उ0प्र0।

6— विशाल मौर्य पुत्र सभाजीत मौर्य, नि0 चुरावन, थाना— बक्सा, जिला—जौनपुर, उ0प्र0।

7— विनोद यादव पुत्र गोपी यादव, नि0 बेलहटा, थाना बक्सा, जिला— जौनपुर, उ0प्र0।

<u>कुल बरामदगीः</u>

1— 10 कुन्तल अवैध गांजा (करीब 01 करोड़ रुपये)

2— अवैध गांजे को छुपा कर ले जाने में प्रयुक्त आम की पेटियॉ मय आम।

3— 01 अदद ट्रक (GJ—16—AU—9781)

4— 01 अदद स्कार्पियो कार (UP—62—AT—8908)

5— 9700/—रु0 नगद

6— 02 अदद DL

7— 03 अदद आधार कार्ड।

8— 01 अदद PAN कार्ड

9— 04 अदद ATM

10— 07 अदद मोबाइल फोन

11— वाहन ट्रक व स्कार्पियो के कागजात।

12— 01 अदद तमंचा 303 बोर मय 05 अदद जिंदा कारतूस

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय</u>

प्रयागराज—रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर स्थित नारी बारी पुलिस चौकी के सामने थाना—शंकरगढ़ जनपद—प्रयागराज उ0प्र0 दिनाँक—29.05.2020 समय—08:30 बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उडीसा से मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी की जा रही है तथा पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में इसे बेचा जा रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज सिंह मु0आ0 सुधीर सिंह, आरक्षी रमेश चन्द्र उपाध्याय, सत्यप्रकाश वर्मा, अमित कुमार की एक टीम गठित कर जनपद प्रयागराज के लिए रवाना की गयी।

एसटीएफ टीम द्वारा जनपद प्रयागराज पहॅुचकर जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन किया जा रहा था तो ज्ञात हुआ कि उड़ीसा राज्य से ट्रक न0 GJ–16–AU–9781 में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गॉजा आम की पेटियों के बीच में छिपाकर लाया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम एनसीबी को साथ लेकर प्रयागराज–रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर स्थित नारी–बारी पुलिस चौकी के सामने पहॅुचकर ट्रक नम्बर उपरोक्त का इन्तजार करने लगे, कुछ देर बाद उक्त नम्बर की ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसे आवश्यक बल प्रयोगकर रोका गया एवं तलाशी ली गयी तो उसके अन्दर आम की पेटिया (आम सहित) रखी हुई थीं जिसके बीच में गॉजा छिपकर रखा गया था, इस पर उक्त ट्रक को कब्जे में ले लिया गया।

पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का कार्य करते है, जिनका एक संगठित गिरोह है एवं गिरोह का सरगना प्रतीक सिंह पुत्र पंकज सिंह, निवासी–बिल्हटा, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर उपरोक्त है। तस्करी के इस गिरोह का जाल उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फैला है। इस गिरोह के सदस्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप लाकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुचाते है। आज भी गांजे की एक बड़ी खेप लेकर उड़ीसा से प्रयागराज में देने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली शंकरगढ़ जनपद–प्रयागराज में दाखिल किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्यवाही एनसीबी द्वारा की जायेगी।

———